जेएमएस बिल्डवेल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट ऑफिस : 7वां तल, नार्थ टॉवर, M3M टीईई प्वाइंट, सेक्टर–65, गुरुग्राम–122018, हरियाणा
रजि. ऑफिस : प्लॉट नं. 2380–एसपी सेक्टर–46, गुरुग्राम–122002 हरियाणा, ई–मेल : crm@jmsgroup.co.in टेलीफोन : +91-124-4215130
सीआईएन : U45309HR2020PTC084773

सार्वजनिक सूचना

जबकि, हम मेसर्स जेएमएस बिल्डवेल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड, श्री धरम सिंह और अन्य के सहयोग से एक अफोर्डेबल प्लॉटेड कॉलोनी की स्थापना के लिए महानिदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा दिए गए लाइसेंस संख्या 44/2020 दिनांक 29.12.2020 के अनुसार गांव वजीरपुर, सेक्टर–95ए, जिला गुरुग्राम में 10.60 एकड़ क्षेत्र में एक अफोर्डेबल प्लॉटेड कॉलोनी के विकास की प्रक्रिया में हैं।

और जबकि, पिछला लेआउट प्लान ड्राइंग संख्या डीटीसीपी–8968 दिनांक 02.02.2023, जो लाइसेंस संख्या 44/2020 दिनांक 29.12.2020 के साथ प्राप्त हुआ था, को संशोधित किया जाना आवश्यक था, जिसके लिए मेसर्स जेएमएस बिल्डवेल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड ने संशोधित लेआउट–कम–डिमार्केशन योजना के लिए आवेदन किया था और इसके लिए प्रोविजनल अनुमोदन मेमो संख्या LC-4221/JD(RA)/2025/6718 दिनांक 21.02.2025 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसका ड्राइंग नंबर DTCP-10880 दिनांक 20.02.2025 है।

और जबकि, जिला नगर योजनाकार के कार्यालय, महानिदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय ने संशोधित लेआउट–कम–डिमार्केशन योजना के अंतिम अनुमोदन की अनुमति देने के लिए पूर्व शर्त के रूप में मौजूदा आवंटियों से लेआउट–कम–डिमार्केशन योजना के संशोधन के खिलाफ आपत्तियां मांगना आवश्यक माना है।

तदनुसार, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उक्त अफोर्डेबल प्लॉटेड कॉलोनी के संशोधित लेआउट–कम–डिमार्केशन योजना प्राप्त होने पर उक्त अफोर्डेबल प्लॉटेड कॉलोनी में किसी भी मौजूदा आवंटी से आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। पूर्व में स्वीकृत लेआउट योजना और संशोधित लेआउट–कम–डिमार्केशन योजना की एक प्रति हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय और हमारी वेबसाइट **https://primeland.jmsgroup.co.in/** पर अवलोकन के लिए उपलब्ध है। उक्त संशोधित लेआउट–कम–डिमार्केशन योजना का अवलोकन वरिष्ठ नगर नियोजक के कार्यालय, हुडा कार्यालय परिसर, सेक्टर 14, गुरुग्राम में भी किया जा सकता है।

मौजूदा आवंटियों में से किसी को भी संशोधित लेआउट–कम–डिमार्केशन योजना पर कोई आपत्ति है तो वह इस सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर वरिष्ठ नगर नियोजक के कार्यालय, हुडा कार्यालय परिसर, सेक्टर 14, गुरुग्राम में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि प्रस्तावित संशोधित लेआउट–कम–डिमार्केशन योजना पर कोई आपत्ति नहीं है।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 28-02-2025

मेसर्स जेएमएस बिल्डवेल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	30 जून, 1967
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	L45101DL1967PLC004759
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	115 अंसल भवन केजी मार्ग, नई दिल्ली–110001
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	**25 फरवरी 2025**
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	**24 अगस्त 2025**
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**नवनीत कुमार गुप्ता** (दिवालियापन पेशेवर) **पंजी. सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P00001/2016-2017/10009 **एएफए :** 31 दिसंबर, 2025 **तक वैध**
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**नवनीत कुमार गुप्ता** **पंजीकृत पता:** यूनिट 2, ब्लॉक डी1, गोल्फ लिंक, सैक्टर 23बी, द्वारका, नई दिल्ली 110077 **ईमेल :** navneet@minervaresolutions.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	112 अंसल भवन केजी मार्ग, नई दिल्ली–110001 **ईमेल : cirpofapil@minervaresolutions.com**
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**11 मार्च, 2025** दावे इस लिंक (ऑनलाइन मोड) **cirpofapil.rpmitra.com** के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	1. आवंटी / गृह खरीदार 2. जमा धारक
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	**आवंटियों / घर खरीदारों के लिए** 1. प्रिंस सोनी (IBBI/IPA-001/IP-P02608/2021-22/14014) 2. गुलशन गाबा (IBBI/IPA-001/IP-P00548/2017-18/10978) 3. परवीन बंसल (IBBI/IPA-001/IP-P00175/2017-18/10344) **जमा धारकों के लिए** 1. मनिन्द्र कुमार तिवारी (IBBI/IPA-001/IP-P02612/2021-22/14015) 2. मुनीश अग्रवाल (IBBI/IPA-001/IP-P02416/2021-22/13622) 3. वीनू द्राल (IBBI/IPA-001/IP-P02504/2021-22/13816)
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	(क) https://ibbi.gov.in/home/downloads पर उपलब्ध है (ख) एआर की प्रोफाइल, दावे और फॉर्म के लिए **https://www.ansalapi.com/** पर जाएं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने दिनांक **25 फरवरी 2025** को **अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **11 मार्च 2025** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदार अपने दावों को प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे (इस लिंक के माध्यम से: **cirpofapil.rpmitra.com**)। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (इस लिंक के माध्यम से: **cirpofapil.rpmitra.com**) प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्टि संख्या 12 के खिलाफ सूचीबद्ध एक वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदार, प्रविष्टि संख्या 13 में सूचीबद्ध तीन दिवालियापन पेशेवरों में से एक अधिकृत प्रतिनिधि अपनी पसंद का फॉर्म सीए में आवंटित / होमबॉयर्स और जमा धारक को इंगित करेगा, जो लेनदारों के वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा!

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
नवनीत कुमार गुप्ता
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00001/2016-2017/10009

दिनांक : 28.02.2025
स्थान : नई दिल्ली

Piccadily Agro Industries Limited

CIN: L01115HR1994PLC032244
REGD. Office: - Village Bhadson, Umri Indri Road, Tehsil Indri, Karnal Dist. Haryana 132117; Email ID:- piccadilygroup34@rediffmail.com

Notice is hereby given that the following share certificate (s) issued by the company are stated to be lost/misplaced and he registered holders thereof have applied to the company for the issue of duplicate share Certificate.

SHARES ALLOT NAME	FOLIO NO.(S)	CERTIFICATE NO.(S)	DISTINCTIVE NO.(S)	No. of SHARES
URMILA GUPTA	1519	059664 - 059674	015859621 - 015860720	1100
		156829	048316041 - 048318240	2200
HARISH KUMAR	2939	067660 - 067664	016659221 - 016659720	500
		150602	024663521 - 024664020	500
		157316	048644441 - 048645440	1000
ANIL GUPTA	9035	106766 - 106769	20569821 - 20570220	400
		106773 - 106774	20570521 - 20570720	200
		153156	25592071 - 25592670	600
RITA GUPTA	4219	76547 - 76548	17547921 - 17548120	200
		76551 - 76553	17548321 - 17548620	300
		151100	24873371 - 24873870	500
		157808	49036341 - 49037340	1000
HARBANS KAUR ANAND	4265	77251 - 77254	17618321 - 17618720	400
		151110	24875971 - 24876370	400
		157818	49041541 - 49042340	800
SAPNA BAGARIA	3759	157620	48876441 - 48877640	1200
		150908	24781321 - 24781920	600
		73536 - 73537	17246821 - 17247020	200
SHOBHA GUPTA	14589	162037	051884241 - 051884740	500
		155367	026347371 - 026347670	300
		141827 - 141828	024075921 - 024076120	200
DHANANDER RAWAT	9316	107971 - 107976	20690321 - 20690920	600
		153296	25633971 - 25634570	600
		159983	50511441 - 50512640	1200
SULABH MALPANI	7385	159163	049999341 - 049999940	600
		152465	025368671 - 025368970	300
		97582 - 97584	019651421 - 019651720	300
SUNIL KUMAR AGARWAL	4119	75432 - 75433	17436421 - 17436620	200
		151072	24842371 - 24842970	600

The public is hereby warmed against purchasing of dealing in any way with the above share certificate. Any person (s) who has/have any claim(s) with the company in respect of the said share certificates should lodge such claims at its registered office at the address given above within 15 days of the publication of this notice after which no claim will be entertained and the company will be proceed With issuance of duplicate share certificates.

Piccadily Agro Industries Limited
Sd/-
Company Secretary

Date : 28/02/2025
Place : Chandigarh

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR BHUBANESHWAR EXPRESSWAYS PRIVATE LIMITED
HAD BEEN OPERATING AS A SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV) IN CONSTRUCTION SERVICES PRIMARILY AT BHUBANESHWAR, ODISHA
(Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor along with ~~PAN~~ & CIN/~~LLP~~ No.	**Bhubaneshwar Expressways Private Limited** CIN : U45200DL2010PTC205121
2.	Address of the registered office	Registered Office: D-427, 2nd Floor, Ramphal Chowk, Palam Extn., Sector-7, Dwarka, New Delhi- 110075 Former Registered Office: Shop No.-119, First Floor, Sector-7 LSC-III, Vardhman Star Citi Mall, Dwarka, New Delhi – 110077
3.	URL of website	https://www.bexp.in/
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Raigad, Maharashtra
5.	Installed capacity of main products/ services	Not Applicable
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Not Applicable
7.	Number of employees/ workmen	Nil
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	For financials of previous years – https://drive.google.com/drive/folders/1JwrlhXutnKGcRKoMaB8QZrbgUsl3eu5G?usp=drive_link For process related documents – https://www.bexp.in/
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	For process related documents – https://www.bexp.in/ (Document Title: Detailed Invitation for Expression of Interest)
10.	Last date for receipt of expression of interest	15.03.2025, Saturday
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	25.03.2025, Tuesday
12.	Last date for submission of objections to provisional list	30.03.2025, Sunday
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	09.04.2025, Wednesday
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	14.04.2025, Monday
15.	Last date for submission of resolution plans	14.05.2025, Wednesday
16.	Process email id to submit Expression of Interest	bepl.cirp@gmail.com
17.	Details of the corporate debtor's registration status as MSME	Not Registered

Date: 28.02.2025
Place: New Delhi

sd/-
CA Monika Agarwal Resolution Professional
For Bhubaneshwar Expressways Private Limited (under CIRP)
IBBI Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P01137/2018-19/11866
AFA valid upto: 31.12.2025
IBBI Registered Address: 205, Chopra Complex, 8, Preet Vihar, Community Centre, New Delhi
bepl.cirp@gmail.com (process specific)
cacsmonika.agarwal@gmail.com (registered with IBBI)

अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद सख्त

कई मूल्यांकनकर्ताओं को हटाया, 1000 नए समीक्षकों की भर्ती की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 फरवरी।

मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने कालेजों का भौतिक निरीक्षण भी रोक दिया है और प्रक्रिया को पूरी तरह से आनलाइन कर दिया है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ने आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करने वाले समीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपने कुल मूल्यांकनकर्ताओं के पांचवें हिस्से को हटा दिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

परिषद ने उस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1,000 से अधिक नए समीक्षकों को भी नियुक्त किया है, जिसमें कई विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल थे। मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने कालेजों का भौतिक निरीक्षण भी रोक दिया है और प्रक्रिया को पूरी तरह से आनलाइन कर दिया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1994 में उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआइ) का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन और मान्यता देने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

अधिकारियों के अनुसार, परिषद के पास 7,000 से अधिक मूल्यांकनकर्ता थे जो संस्थानों की ग्रेडिंग के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार थे। परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकनकर्ताओं का अलग-अलग समूह होता था, कभी-कभी उन्हें दूसरे क्षेत्रों में भी जाना पड़ता था।

मूल्यांकनकर्ताओं के काम और आचरण की समीक्षा लंबे समय से प्रक्रिया का हिस्सा रही है, लेकिन कई अनियमितताओं के कारण इस बार कड़ी कार्रवाई की गई। हमने कुल मूल्यांकनकर्ताओं के पांचवें हिस्से को हटा दिया है। समीक्षा के आधार पर कुछ को छह महीने के लिए, कुछ को एक साल के लिए हटाया गया है, तथा कुछ को प्रतिबंधित किया गया है। हमने समानांतर रूप से 1,000 से अधिक नए समीक्षकों की भर्ती भी की है, जिन्हें अब प्रशिक्षित किया जाएगा।

यह कार्रवाई गुंटूर स्थित केएलईएफ द्वारा अपने विश्वविद्यालय को 'ए ' रेटिंग दिलाने के बदले में एनएएसी टीम को कथित तौर पर रिश्वत देने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की जांच के बाद की गई।

कार्बेट बाघ अभयारण्य : वन्यजीवों के लिए बाड़ों की संख्या बढ़ाई जाएगी

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 27 फरवरी।

उत्तराखंड के कार्बेट बाघ अभयारण्य के ढेला रेंज के गुज्जर पड़ाव में वन्य जीवों के इलाज के लिए बने संरक्षण केंद्र का विस्तार कर उसमें बाड़ों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभयारण्य के निदेशक साकेत बडोला ने कहा कि बाड़ों की संख्या बढ़ाने के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर वन विभाग के उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया है।

संरक्षण केंद्र में बाघों और तेंदुओं के लिए 16–16 बाड़ बनाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में वहां दोनों वन्यजीवों के लिए 10–10 बाड़ मौजूद हैं। फिलहाल संरक्षण केंद्र में 11 बाघों और 13 तेंदुओं का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में शुरू हुआ यह संरक्षण केंद्र वृद्ध एवं घायल वन्यजीवों के लिए जीवनरेखा साबित हुआ है। इसमें अभी तक 11 बाघों का इलाज किया जा चुका है, जिनमें से आठ को उनके स्वस्थ हो जाने के बाद जंगल में उसी जगह पर वापस छोड़ा गया, जहां से उन्हें घायल अवस्था में लाया गया था। वहीं, जिन बाघों को किन्हीं कारणों से वापस जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता था, उन्हें देहरादून प्राणी उद्यान भेज दिया गया।

बडोला के मुताबिक, संरक्षण केंद्र में इलाज के दौरान एक तेंदुए की मौत हो गई, जबकि दो अन्य तेंदुओं को इलाज के बाद वापस जंगल में छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि संरक्षण केंद्र में अभयारण्य की दो पालतू हथनियों की भी चिकित्सकीय देखभाल कर उन्हें स्वस्थ किया गया और अब ये दोनों हथनियां कोर क्षेत्र के जंगल में घूम रही हैं।

नौसेना के परीक्षण में खरी उतरी पोत विनाशक मिसाइल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 फरवरी।

डीआरडीओ की पोत विनाशक मिसाइल (एनएएसएम–एसआर) भारतीय नौसेना के उड़ान परीक्षण में सफल साबित हुई है। इसका परीक्षण मंगलवार को ओड़ीशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया।

यह अपनी तरह की पहली मिसाइल है जिसे नौसेना के सीकिंग हेलिकाप्टर से लांच करके एक छोटे समुद्री जहाज को निशाना बनाया गया। परीक्षणों ने न सिर्फ मिसाइल की मैन–इन–लूप विशेषता को साबित किया है। बल्कि इसकी अधिकतम सीमा पर सी–स्किमिंग मोड में लक्ष्य पर सीधा प्रहार करने की क्षमता का भी सफल प्रदर्शन हुआ है। इस मिसाइल में टर्मिनल गाइडेंस के लिए स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रा–रेड सीकर का इस्तेमाल किया गया है।

कोविड टीकाकरण के कारण हुई मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया सवाल

आश्रितों को मुआवजे की क्या नीति है

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से इस बारे में निर्देश मांगे हैं कि क्या केंद्र सरकार कोविड–19 टीकाकरण के कारण मरने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई नीति बनाना चाहती है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ केरल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे। मामले की सुनवाई 18 मार्च को होगी।

सुश्री सईद ने यह रिट याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कथित कोविड–19 टीकाकरण (एईएफआइ) के बाद अपने पति की मृत्यु के बाद अनुग्रह राशि मुआवजे की मांग की थी। हाईकोर्ट ने परमादेश के माध्यम से एक अंतरिम आदेश पारित किया। जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ तीन महीने के भीतर एईएफआइ के कारण मरने वाले लोगों को मुआवजा देने के लिए एक नीति या दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया।

केंद्र ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि टीकाकरण एक स्वतंत्र और स्वैच्छिक कार्य है। केंद्र का तर्क है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2(डी) के साथ धारा 12(डी) (राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देश) के तहत एईएफआई आपदा नहीं है। जिससे मृतक को वैधानिक

SBI | भारतीय स्टेट बैंक

होम लोन सेंटर, 105, न्यू आर्य नगर, गाजियाबाद – 201003 (उत्तर प्रदेश)
फोन : 0120–4168175 ई–मेल : sbi.10049@sbi.co.in

चूककर्ता कर्जदार के जब्त किए गए वाहन के निपटान हेतु ऑनलाइन ई–नीलामी का आयोजन
ई–नीलामी

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को विशेष रूप से कर्जदार(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल सम्पत्ति (कार) जिसका कब्जा भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, संबंधित पार्टी की तरफ बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए 18–03–2025 को अप. 12.30 बजे से अप. 01.30 बजे के बीच (बिक्री के समापन तक प्रत्येक अंतिम 10 मिनट की अवधि में बोली के मामले में स्वतः विस्तार क्लॉज के साथ) "जैसी है जहां है" और "जैसी है जो है" आधार पर बेची जाएगी। इच्छुक खरीदार ई–नीलामी के दिन प्रत्याभूत ऋणदाता के दिए गए लिंक : **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर जाकर बोली में भाग ले सकते हैं (ई–नीलामी से संबंधित सभी नियम और शर्तें वहां उपलब्ध हैं)।

शाखा का नाम	कर्जदार का नाम और पता	चल संपत्ति का विवरण (कार)	कब्जे की स्थिति	कुल बकाया राशि	ए. सुरक्षित मूल्य (रु.) बी. ईएमडी (रु.) सी. बोली वृद्धि राशि (रु.) डी. बिक्री सूचना की तिथि	खाता संख्या और आईएफएससी कोड	ई–नीलामी की तिथि और ईएमडी की अंतिम तिथि
एचएलसी, गाजियाबाद 201003	प्रमोद सिंह पुत्र कुंवर सिंह पता: एच नं. 51, गली नं. 9, सबोली गांव, पुराने शिव मंदिर सबोली के पास उत्तर पूर्वी दिल्ली	ईकोस्पोर्ट.5(डी)टाइटेनियम एमटी पंजीकरण संख्या: DL5CR2344 इंजन संख्या: KT16193 चेसिस नं.: MAJAXXMRKAKT16193	भौतिक	रु. 8,33,521/– (ब्याज सहित) 21–02–2025 तक	ए. 4,80,000/– + लागू जीएसटी बी. 48000/– सी. रु. 5000/– डी. 17–02–2025	खाता संख्या : 37608166985 आईएफएससी कोड : SBIN0010049	वाहन की ई–नीलामी : 18–03–2025 एवं ईएमडी की अंतिम तिथि : 17–03–2025

नोट : सफल बोलीदाता को उद्धृत मूल्य की पूरी राशि ई–नीलामी की तिथि से सात (7) कार्य दिवसों के भीतर जमा करनी होगी, अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और वाहन तत्काल बेच दिया जाएगा।

ईएमडी 17–03–2025 को अथवा पूर्व अप. 4 बजे तक जमा की जानी चाहिए। सम्पत्ति (कार) का निरीक्षण 16–03–2025 को एफ 21–22 प्रथम तल, मेरठ कॉलेज, कचहरी पुल के पास नया परिसर, मेरठ, उत्तर प्रदेश के पते पर समाधान एजेंसी (मैसर्स एसके एसोसिएट्स पार्किंग मैनेजर का संपर्क नंबर 9258929462 है) के माध्यम से किया जा सकता है।

तिथि : 21–02–2025, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी (एचएलसी गाजियाबाद)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

जोनल स्ट्रेस्ड असेट्स रिकवरी ब्रान्च, चतुर्थ तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 – भारत, फोन : +91 11 42268509, 42268003
ईमेल– armdel@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

"परिशिष्ट– IV-A [(नियम 8(6) एवं 9(1) का परंतुक देखें]

"वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6), 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां, जो प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका भौतिक कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित खाते/खातों की वसूली के लिए **"जहाँ है जैसा है, जो कुछ भी है और बिना किसी दायित्व रहित"** के आधार पर बेची जाएंगी। कर्जदार/रों/गारंटर/रों/प्रतिभूत आस्ति/बकाया राशि /सुरक्षित मूल्य/ई–नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

क्रं. सं.	कर्जदार/रों/गारंटर/रों का नाम और पता	अचल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण, ज्ञात ऋणभार, यदि कोई, सहित	कुल बकाया राशि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	कब्जा की स्थिति (प्रलक्षित/भौतिक)	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	**मैसर्स प्रगति पेट्रो प्रोजेक्ट्स एलएलपी, पार्टनर – 1. श्री राव नरेंद्र सिंह और 2. श्रीमती अलका यादव,** निवासी मकान नंबर सी–6, साउथ सिटी–।।, गुरुग्राम–122018 हरियाणा **गारंटर :– 1. श्री राव नरेन्द्र सिंह 2. श्रीमती अलका यादव पत्नी श्री राव नरेन्द्र सिंह,** दोनों निवासी, मकान नंबर सी–6, साउथ सिटी – ।।, गुरुग्राम –122018 हरियाणा **3. श्रीमती रेखा यादव पत्नी सत्येन्द्र यादव** निवासी पाल्हावास (236) पाल्हावास रेवाडी हरियाणा – 123035	सम्पत्ति के वह सभी अंश एवं खंड जो वाणिज्यिक सह आवासीय भूखंड (भूमि एवं भवन) एमसीडी नंबर डब्ल्यूजैड 254, खसरा संख्या 84 (3–9) की अंश रूप 707 वर्ग गज भूमि अर्थात 03 बीघा 09 बिस्वा भूमि का 1/6 हिस्सा, जो लाल डोरा (1908–09) आबादी ग्राम शकूरपुर दिल्ली 110034 में स्थित है तथा श्रीमती रेखा यादव पत्नी श्री सत्येंद्र यादव के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर : मकान नंबर डब्ल्यूजैड 254 बी, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति, पूरब : सड़क, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति **बैंक को ज्ञात ऋणभार : शून्य**	रु. 16,36,30,940/– (रुपये सोलह करोड़ छत्तीस लाख तीस हजार नौ सौ चालीस मात्र) दिनांक 22–02–2025 तक तथा 23–02–2025 से जोड़ा नहीं गया ब्याज एवं अन्य खर्चे	**20.03.2025** अप. 02.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक	**₹ 875.00 लाख** / **₹ 87.50 लाख** / **₹ 0.50 लाख**	**भौतिक**	**17.03.2025** अप. 01.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक

यह सूचना बिक्री के संबंध में 15 दिन का वैधानिक नोटिस है

नीलामी का संचालन नीलामी सेवा प्रदाता – https://baanknet.com के माध्यम से किया जाएगा। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm और https://baanknet.com पर दिया गया लिंक देखें। इसके अतिरिक्त, संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी **श्री शिव राम रतन ठाकुर, मुख्य प्रबंधक, जैडओएसएआरबी, नई दिल्ली मोबाइल नंबर 7568716083** से सम्पर्क कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी का, उसके विवेक के आधार पर, इस नीलामी को वापस लेने/रद्द करने/पुनः आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित है। बोलीदाता को सरफासी ऐक्ट/नियम के प्रावधानों की जानकारी है।

दिनांक : 26.02.2025, स्थान : नई दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा

'राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वायु सेना व नौसेना की शक्ति का एकीकरण जरूरी'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 फरवरी।

सीडीएस ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भौगोलिक स्थिति समुद्री क्षेत्र को रणनीतिक हित का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है।

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध शक्ति बढ़ाने पर आयोजित सेमिनार में वायु एवं नौसेना संचालन में तालमेल व एकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर सीडीएस के साथ वायु सेना उप प्रमुख एअर मार्शल एसपी धारकर भी मौजूद रहे।

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की अनूठी भौगोलिक स्थिति समुद्री क्षेत्र को रणनीतिक हित का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। इसलिए राष्ट्रीय हितों की रक्षा और क्षेत्र में प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिए वायु एवं नौसेना शक्ति का एकीकरण आवश्यक है। उन्होंने आगे बताया कि कैसे तकनीकी उन्नति, रणनीतिक साझेदारी और संयुक्त परिचालन अभ्यास भारत की रक्षा स्थिति को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

एअर चीफ मार्शल एसपी धारकर ने क्षेत्र में उभरते खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के बीच वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करने और निर्बाध समन्वय के महत्व पर प्रकाश डाला।

सेमिनार का आयोजन दक्षिणी वायु कमान मुख्यालय ने सेंटर फार एअर पावर स्टडीज के सहयोग से किया गया, जिसका विषय 'वायु एवं नौसेना बलों में तालमेल : हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध शक्ति बढ़ाना' था। इस अवसर पर आधुनिक हवाई–समुद्री युद्ध रणनीतियों, समुद्री सुरक्षा में मानव रहित प्रणालियों की भूमिका और रक्षा तैयारियों पर विकसित भू–राजनीतिक गतिशीलता के प्रभाव पर भी चर्चा की गई।

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड
HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015, ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com
शाखा कार्यालयः कार्यालय सं. 311 और 312, तृतीय तल, आईटीएल नॉर्थेक्स टावर्स-ए9, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

सीएलएम – श्री कशिश भाटिया और श्री सनी मलिक

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारन्टर के नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल सम्पतियों का विवरण
1	आवेदन नं. DL/GRN/SRJP/A000000135 श्री हरेंद्र सिंह और श्री सिखा, दोनोंः मकान नं. 306, वार्ड नंबर 12, दादरी गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 203207	02-05-2024 / 27-02-2025 सांकेतिक	₹ 15,57,630/- दिनांक 01.04.2024 तक प्लस ब्याज इत्यादि	ख. नंबर 1034, ओम वाटिका, दादरी, जी.बी. नगर, यूपी, भारत – 203207

दिनांक : 27-02-2025, स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

जेएमएस बिल्डवेल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट ऑफिस : 7वां तल, नार्थ टॉवर, बड़ा टीईई प्वाइंट, सेक्टर-65, गुरुग्राम-122018, हरियाणा
रजि. ऑफिस : प्लॉट नं. 3380-एसपी सेक्टर-46, गुरुग्राम-122002 हरियाणा, ई-मेल : crm@jmsgroup.co.in टेलीफोन : +91-124-4215130
सीआईएन : U45309HR2020PTC084773

सार्वजनिक सूचना

जबकि, हम मेसर्स जेएमएस बिल्डवेल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड, श्री धरम सिंह और अन्य के सहयोग से एक अफोर्डेबल प्लॉटेड कॉलोनी की स्थापना के लिए महानिदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा दिए गए लाइसेंस संख्या 44/2020 दिनांक 29.12.2020 के अनुसार गांव वजीरपुर, सेक्टर-95ए, जिला गुरुग्राम में 10.00 एकड़ क्षेत्र में एक अफोर्डेबल प्लॉटेड कॉलोनी के विकास की प्रक्रिया में हैं।

और जबकि, पिछला लेआउट प्लान ड्राइंग संख्या डीटीसीपी-8968 दिनांक 02.02.2021, जो लाइसेंस संख्या 44/2020 दिनांक 29.12.2020 के साथ प्राप्त हुआ था, को संशोधित किया जाना आवश्यक था, जिसके लिए मेसर्स जेएमएस बिल्डवेल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड ने संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना के लिए आवेदन किया था और इसके लिए प्रोविजनल अनुमोदन मेमो संख्या LC-4221/JD(RA)/2025/6718 दिनांक 21.02.2025 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसका ड्राइंग नंबर DTCP-10880 दिनांक 20.02.2025 है।

और जबकि, जिला नगर योजनाकार के कार्यालय, महानिदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय ने संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना के अंतिम अनुमोदन की अनुमति देने के लिए पूर्व शर्त के रूप में मौजूदा आवंटियों से लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना के संशोधन के खिलाफ आपत्तियां मांगना आवश्यक माना है।

तदनुसार, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उक्त अफोर्डेबल प्लॉटेड कॉलोनी के संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना प्राप्त होने पर उक्त अफोर्डेबल प्लॉटेड कॉलोनी में किसी भी मौजूदा आवंटी से आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। पूर्व में स्वीकृत लेआउट योजना और संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना की एक प्रति हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय और हमारी वेबसाइट **https://primeland.jmsgroup.co.in/** पर अवलोकन के लिए उपलब्ध है। उक्त संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना का अवलोकन वरिष्ठ नगर नियोजक के कार्यालय, हुडा कार्यालय परिसर, सेक्टर 14, गुरुग्राम में भी किया जा सकता है।

मौजूदा आवंटियों में से किसी को भी संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना पर कोई आपत्ति है तो वह इस सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर वरिष्ठ नगर नियोजक के कार्यालय, हुडा कार्यालय परिसर, सेक्टर 14, गुरुग्राम में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि प्रस्तावित संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना पर कोई आपत्ति नहीं है।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 28-02-2025

मेसर्स जेएमएस बिल्डवेल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड

प्रपत्र ए

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	30 जून, 1967
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	L45101DL1967PLC004759
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	115 अंसल भवन केजी मार्ग, नई दिल्ली–110001
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	**25 फरवरी 2025**
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	**24 अगस्त 2025**
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**नवनीत कुमार गुप्ता** (दिवालियापन पेशेवर) **पंजी. सं.**:IBBI/IPA-001/IP-P00001/2016-2017/10009 **एएफए** : 31 दिसंबर, 2025 **तक वैध**
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**नवनीत कुमार गुप्ता** **पंजीकृत पता**: यूनिट 2, ब्लॉक डी1, गोल्फ लिंक, सैक्टर 23बी, द्वारका, नई दिल्ली 110077 **ईमेल** : navneet@minervaresolutions.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	112 अंसल भवन केजी मार्ग, नई दिल्ली–110001 **ईमेल : cirpofapil@minervaresolutions.com**
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**11 मार्च, 2025** दावे इस लिंक (ऑनलाइन मोड) **cirpofapil.rpmitra.com** के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	1. आवंटी / गृह खरीदार 2. जमा धारक
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिहि्नत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	**आवंटियों / घर खरीदारों के लिए** 1. प्रिंस सोनी (IBBI/IPA-001/IP-P02608/2021-22/14014) 2. गुलशन गाबा (IBBI/IPA-001/IP-P00548/2017-18/10978) 3. परवीन बंसल (IBBI/IPA-001/IP-P00175/2017-18/10344) **जमा धारकों के लिए** 1. मनिन्द्र कुमार तिवारी (IBBI/IPA-001/IP-P02612/2021-22/14015) 2. मुनीश अग्रवाल (IBBI/IPA-001/IP-P02416/2021-22/13622) 3. वीनू द्राल (IBBI/IPA-001/IP-P02504/2021-22/13816)
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	(क) https://ibbi.gov.in/home/downloads पर उपलब्ध है (ख) एआर की प्रोफाइल, दावे और फॉर्म के लिए **https://www.ansalapi.com/** पर जाएं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने दिनांक **25 फरवरी 2025** को **अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **11 मार्च 2025** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदार अपने दावों को प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे (इस लिंक के माध्यम से: **cirpofapil.rpmitra.com**)। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (इस लिंक के माध्यम से: **cirpofapil.rpmitra.com**) प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्टि संख्या 12 के खिलाफ सूचीबद्ध एक वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदार, प्रविष्टि संख्या 13 में सूचीबद्ध तीन दिवालियापन पेशेवरों में से एक अधिकृत प्रतिनिधि अपनी पसंद का फॉर्म सीए में आवंटित / होमबॉयर्स और जमा धारक को इंगित करेगा, जो लेनदारों के वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा!

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
नवनीत कुमार गुप्ता
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-001/IP-P00001/2016-2017/10009

दिनांक : 28.02.2025
स्थान : नई दिल्ली

Piccadily Agro Industries Limited

CIN: L01115HR1994PLC032244
REGD. Office: - Village Bhadson, Umri Indri Road, Tehsil Indri, Karnal Dist. Haryana 132117; Email ID:- piccadilygroup34@rediffmail.com

Notice is hereby given that the following share certificate (s) issued by the company are stated to be lost/misplaced and he registered holders thereof have applied to the company for the issue of duplicate share Certificate.

SHARES ALLOT NAME	FOLIO NO.(S)	CERTIFICATE NO.(S)	DISTINCTIVE NO.(S)	No. of SHARES
URMILA GUPTA	1519	059664 - 059674	015859621 - 015860720	1100
		156829	048316041 - 048318240	2200
HARISH KUMAR	2939	067660 - 067664	016659221 - 016659720	500
		150602	024663521 - 024664020	500
		157316	048644441 - 048645440	1000
ANIL GUPTA	9035	106766 - 106769	20569821 - 20570220	400
		106773 - 106774	20570521 - 20570720	200
		153156	25592071 - 25592670	600
RITA GUPTA	4219	76547 - 76548	17547921 - 17548120	200
		76551 - 76553	17548321 - 17548620	300
		151100	24873371 - 24873870	500
		157808	49036341 - 49037340	1000
HARBANS KAUR ANAND	4265	77251 - 77254	17618321 - 17618720	400
		151110	24875971 - 24876370	400
		157818	49041541 - 49042340	800
SAPNA BAGARIA	3759	157620	48876441 - 48877640	1200
		150908	24781321 - 24781920	600
		73536 - 73537	17246821 - 17247020	200
SHOBHA GUPTA	14589	162037	051884241 - 051884740	500
		155367	026347371 - 026347670	300
		141827 - 141828	024075921 - 024076120	200
DHANANDER RAWAT	9316	107971 - 107976	20690321 - 20690920	600
		153296	25633971 - 25634570	600
		159983	50511441 - 50512640	1200
SULABH MALPANI	7385	159163	049999341 - 049999940	600
		152465	025368671 - 025368970	300
		97582 - 97584	019651421 - 019651720	300
SUNIL KUMAR AGARWAL	4119	75432 - 75433	17436421 - 17436620	200
		151072	24842371 - 24842970	600

The public is hereby warmed against purchasing of dealing in any way with the above share certificate. Any person (s) who has/have any claim(s) with the company in respect of the said share certificates should lodge such claims at its registered office at the address given above within 15 days of the publication of this notice after which no claim will be entertained and the company will be proceed With issuance of duplicate share certificates.

Piccadily Agro Industries Limited
Sd/-
Company Secretary

Date : 28/02/2025
Place : Chandigarh

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR BHUBANESHWAR EXPRESSWAYS PRIVATE LIMITED
HAD BEEN OPERATING AS A SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV) IN CONSTRUCTION SERVICES PRIMARILY AT BHUBANESHWAR, ODISHA
(Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor along with ~~PAN~~ & CIN/~~LLP~~ No.	**Bhubaneshwar Expressways Private Limited** CIN : U45200DL2010PTC205121
2.	Address of the registered office	Registered Office: D-427, 2nd Floor, Ramphal Chowk, Palam Extn., Sector-7, Dwarka, New Delhi- 110075 Former Registered Office: Shop No.-119, First Floor, Sector-7 LSC-III, Vardhman Star Citi Mall, Dwarka, New Delhi – 110077
3.	URL of website	https://www.bexp.in/
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Raigad, Maharashtra
5.	Installed capacity of main products/ services	Not Applicable
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Not Applicable
7.	Number of employees/ workmen	Nil
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	For financials of previous years – https://drive.google.com/drive/folders/1JwrlhXutnKGcRKoMaB8QZrbgUsl3eu5G?usp=drive_link For process related documents – https://www.bexp.in/
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	For process related documents – https://www.bexp.in/ (Document Title: Detailed Invitation for Expression of Interest)
10.	Last date for receipt of expression of interest	15.03.2025, Saturday
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	25.03.2025, Tuesday
12.	Last date for submission of objections to provisional list	30.03.2025, Sunday
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	09.04.2025, Wednesday
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	14.04.2025, Monday
15.	Last date for submission of resolution plans	14.05.2025, Wednesday
16.	Process email id to submit Expression of Interest	bepl.cirp@gmail.com
17.	Details of the corporate debtor's registration status as MSME	Not Registered

Date: 28.02.2025
Place: New Delhi

sd/-
CA Monika Agarwal Resolution Professional
For Bhubaneshwar Expressways Private Limited (under CIRP)
IBBI Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P01137/2018-19/11866
AFA valid upto: 31.12.2025
IBBI Registered Address: 205, Chopra Complex, 8, Preet Vihar, Community Centre, New Delhi
bepl.cirp@gmail.com (process specific)
cacsmonika.agarwal@gmail.com (registered with IBBI)

बंगाल विस चुनाव 2026 को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तैयारियों का आगाज

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 215 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा

कोलकाता, 27 फरवरी (भाषा)।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में कुल 294 में से 215 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य रखा और कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दमदार प्रदर्शन की वजह से भाजपा की सीटों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिलेगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीट जीत थीं। बनर्जी ने पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हम अगले बंगाल विधानसभा चुनावों में 294 में से 215 से अधिक सीट जीतेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा की संख्या में और गिरावट आए। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने पिछले चुनाव में लगाए गए भगवा पार्टी के नारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनावों में 215 से अधिक सीट जीतेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा की संख्या में और गिरावट आए।

2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा नेताओं ने '200 पार' कहा था, लेकिन हार गए। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने '400 पार' का दावा किया, लेकिन वे बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए। अभिषेक बनर्जी ने जो कहा कि वह बिल्कुल सही है। हम दो-तिहाई बहुमत हासिल करेंगे, लेकिन आपको इससे भी बड़ी जीत सुनिश्चित करनी होगी। इस बार भाजपा उम्मीदवारों की जमानत जब्त करानी होगी।

भाजपा पर फर्जी मतदाताओं के पंजीकरण का आरोप

कोलकाता, 27 फरवरी (भाषा)।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर 'निर्वाचन आयोग की मदद' से मतदाता सूची में अन्य राज्यों के फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इसी तरह की रणनीति अपनाई थी।

उन्होंने ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि भाजपा संवैधानिक निकाय को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा किस तरह निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता सूची में हेराफेरी कर रही है।

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा

राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वायु सेना व नौसेना की शक्ति का एकीकरण जरूरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 फरवरी।

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध शक्ति बढ़ाने पर आयोजित सेमिनार में वायु एवं नौसेना संचालन में तालमेल व एकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर सीडीएस के साथ वायु सेना उप प्रमुख एअर मार्शल एसपी धारकर भी मौजूद रहे।

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की अनूठी भौगोलिक स्थिति समुद्री क्षेत्र को रणनीतिक हित का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। इसलिए राष्ट्रीय हितों की रक्षा और क्षेत्र में प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिए वायु एवं नौसेना शक्ति का एकीकरण आवश्यक है। उन्होंने आगे बताया कि कैसे तकनीकी उन्नति, रणनीतिक साझेदारी और संयुक्त परिचालन अभ्यास भारत की रक्षा स्थिति को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

एअर चीफ मार्शल एसपी धारकर ने क्षेत्र में उभरते खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के बीच वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करने और निर्बाध समन्वय के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर आधुनिक हवाई-समुद्री युद्ध रणनीतियों, समुद्री सुरक्षा में मानव रहित प्रणालियों की भूमिका और रक्षा तैयारियों पर विकसित भू-राजनीतिक गतिशीलता के प्रभाव पर भी चर्चा की गई।

अभिषेक बनर्जी ने ममता के साथ मतभेद की अटकलों को खारिज किया

कोलकाता, 27 फरवरी (भाषा)।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी के साथ कथित 'मतभेद' की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि वह पार्टी के एक 'निष्ठावान सिपाही' बने रहेंगे तथा पार्टी सुप्रीमो को अपनी नेता मानते हैं।

तृणमूल कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए अभिषेक ने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आता है तो विपक्ष आदतन इस तरह की 'अफवाहें' फैलाने का सहारा लेता है। बैठक का उद्देश्य राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करना था। जो लोग कह रहे हैं कि मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा सिर भी कलम कर दिया जाए तब भी मैं मरते दम तक 'ममता बनर्जी जिंदाबाद' का नारा ही लगाऊंगा।

कोविड टीकाकरण के कारण हुई मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया सवाल

आश्रितों को मुआवजे देने की क्या नीति है

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से इस बारे में निर्देश मांगे हैं कि क्या केंद्र सरकार कोविड-19 टीकाकरण के कारण मरने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई नीति बनाना चाहती है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ केरल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे। मामले की सुनवाई 18 मार्च को होगी।

सुश्री सईद ने यह रिट याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कथित कोविड-19 टीकाकरण (एईएफआइ) के बाद अपने पति की मृत्यु के बाद अनुग्रह राशि मुआवजे की मांग की थी। हाईकोर्ट ने परमादेश के माध्यम से एक अंतरिम आदेश पारित किया। जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ तीन महीने के भीतर एईएफआइ के कारण मरने वाले लोगों को मुआवजा देने के लिए एक नीति या दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया।

केंद्र ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि टीकाकरण एक स्वतंत्र और स्वैच्छिक कार्य है। केंद्र का तर्क है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2(डी) के साथ धारा 12(डी) (राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देश) के तहत एईएफआई आपदा नहीं है।

SBI भारतीय स्टेट बैंक

होम लोन सेंटर, 105, न्यू आर्य नगर, गाजियाबाद – 201003 (उत्तर प्रदेश)
फोन : 0120–4168175 ई–मेल : sbi.10049@sbi.co.in

चूककर्ता कर्जदार के जब्त किए गए वाहन के निपटान हेतु ऑनलाइन ई–नीलामी का आयोजन
ई–नीलामी

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को विशेष रूप से कर्जदार(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल सम्पत्ति (कार) जिसका कब्जा भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, संबंधित पार्टी की तरफ बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए 18–03–2025 को अप. 12.30 बजे से अप. 01.30 बजे के बीच (बिक्री के समापन तक प्रत्येक अंतिम 10 मिनट की अवधि में बोली के मामले में स्वतः विस्तार क्लॉज के साथ) "जैसी है जहां है" और "जैसी है जो है" आधार पर बेची जाएगी। इच्छुक खरीदार ई–नीलामी के दिन प्रत्याभूत ऋणदाता के दिए गए लिंक : https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर जाकर बोली में भाग ले सकते हैं (ई–नीलामी से संबंधित सभी नियम और शर्तें वहां उपलब्ध हैं)।

शाखा का नाम	कर्जदार का नाम और पता	चल संपत्ति का विवरण (कार)	कब्जे की स्थिति	कुल बकाया राशि	ए. सुरक्षित मूल्य (रु.) बी. ईएमडी (रु.) सी. बोली वृद्धि राशि (रु.) डी. बिक्री सूचना की तिथि	खाता संख्या और आईएफएससी कोड	ई–नीलामी की तिथि और ईएमडी की अंतिम तिथि
एचएलसी, गाजियाबाद 201003	प्रमोद सिंह पुत्र कुंवर सिंह पताः एच नं. 51, गली नं. 9, सबोली गांव, पुराने शिव मंदिर सबोली के पास उत्तर पूर्वी दिल्ली	ईकोस्पोर्ट.5(डी)टाइटेनियम एमटी पंजीकरण संख्याः DL5CR2344 इंजन संख्याः KT16193 चेसिस नं.: MAJAXXMRKAKT16193	भौतिक	रु. 8,33,521/– (ब्याज सहित) 21–02–2025 तक	ए. 4,80,000/– + लागू जीएसटी बी. 48000/– सी. रु. 5000/– डी. 17–02–2025	खाता संख्या : 37608166985 आईएफएससी कोड : SBIN0010049	वाहन की ई–नीलामी : 18–03–2025 एवं ईएमडी की अंतिम तिथि : 17–03–2025

नोट : सफल बोलीदाता को उद्धृत मूल्य की पूरी राशि ई–नीलामी की तिथि से सात (7) कार्य दिवसों के भीतर जमा करनी होगी, अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और वाहन तत्काल बेच दिया जाएगा।

ईएमडी 17–03–2025 को अथवा पूर्व अप. 4 बजे तक जमा की जानी चाहिए। सम्पत्ति (कार) का निरीक्षण 16–03–2025 को एफ 21–22 प्रथम तल, मेरठ कॉलेज, कचहरी पुल के पास नया परिसर, मेरठ, उत्तर प्रदेश के पते पर समाधान एजेंसी (मैसर्स एसके एसोसिएट्स पार्किंग मैनेजर का संपर्क नंबर 9258929462 है) के माध्यम से किया जा सकता है।

तिथि : 21–02–2025, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी (एचएलसी गाजियाबाद)

अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद सख्त

कई मूल्यांकनकर्ताओं को हटाया, 1000 नए समीक्षकों की भर्ती की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 फरवरी।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ने आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करने वाले समीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपने कुल मूल्यांकनकर्ताओं के पांचवें हिस्से को हटा दिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

परिषद ने उस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1,000 से अधिक नए समीक्षकों को भी नियुक्त किया है, जिसमें कई विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल थे। मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने कालेजों का भौतिक निरीक्षण भी रोक दिया है और प्रक्रिया को पूरी तरह से आनलाइन कर दिया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1994 में उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआइ) का व्यवस्थित

मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने कालेजों का भौतिक निरीक्षण भी रोक दिया है और प्रक्रिया को पूरी तरह से आनलाइन कर दिया है।

रूप से मूल्यांकन और मान्यता देने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। अधिकारियों के अनुसार, परिषद के पास 7,000 से अधिक मूल्यांकनकर्ता थे जो संस्थानों की ग्रेडिंग के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार थे। परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकनकर्ताओं का अलग-अलग समूह होता था, कभी-कभी उन्हें दूसरे क्षेत्रों में भी जाना पड़ता था। मूल्यांकनकर्ताओं के काम और आचरण की समीक्षा लंबे समय से प्रक्रिया का हिस्सा रही है, लेकिन कई अनियमितताओं के कारण इस बार कड़ी कार्रवाई की गई।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

जोनल स्ट्रेस्ड असेट्स रिकवरी ब्रान्च, चतुर्थ तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 – भारत, फोन : +91 11 42268509, 42268003
ईमेल– armdel@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

"परिशिष्ट– IV-A [(नियम 8(6) एवं 9(1) का परंतुक देखें]

"वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6), 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां, जो प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका भौतिक कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित खाते/खातों की वसूली के लिए **"जहाँ है जैसा है, जो कुछ भी है और बिना किसी दायित्व रहित"** के आधार पर बेची जाएंगी। कर्जदार/रों/गारंटर/रों/प्रतिभूत आस्ति/बकाया राशि /सुरक्षित मूल्य/ई–नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

क्रं. सं.	कर्जदार/रों/गारंटर/रों का नाम और पता	अचल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण, ज्ञात ऋणभार, यदि कोई, सहित	कुल बकाया राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	कब्जा की स्थिति (प्रलक्षित/भौतिक)	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	**मैसर्स प्रगति पेट्रो प्रोजेक्ट्स एलएलपी, पार्टनर – 1. श्री राव नरेंद्र सिंह और 2. श्रीमती अलका यादव,** निवासी मकान नंबर सी–6, साउथ सिटी–।।, गुरूग्राम–122018 हरियाणा **गारंटर** :– 1. श्री राव नरेन्द्र सिंह **2. श्रीमती अलका यादव पत्नी श्री राव नरेन्द्र सिंह,** दोनों निवासी, मकान नंबर सी–6, साउथ सिटी – ।।, गुरूग्राम –122018 हरियाणा **3. श्रीमती रेखा यादव पत्नी सत्येन्द्र यादव** निवासी पाल्हावास (236) पाल्हावास रेवाडी हरियाणा – 123035	सम्पत्ति के वह सभी अंश एवं खंड जो वाणिज्यिक सह आवासीय भूखंड (भूमि एवं भवन) एमसीडी नंबर डब्ल्यूजेड 254, खसरा संख्या 84 (3–9) की अंश रूप 707 वर्ग गज भूमि अर्थात 03 बीघा 09 बिस्वा भूमि का 1/6 हिस्सा, जो लाल डोरा (1908–09) आबादी ग्राम शकूरपुर दिल्ली 110034 में स्थित है तथा श्रीमती रेखा यादव पत्नी श्री सत्येंद्र यादव के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर : मकान नंबर डब्ल्यूजैड 254 बी, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति, पूरब : सड़क, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति **बैंक को ज्ञात ऋणभार : शून्य**	रु. 16,36,30,940/– (रुपये सोलह करोड़ छत्तीस लाख तीस हजार नौ सौ चालीस मात्र) दिनांक 22–02–2025 तक तथा 23–02–2025 से जोड़ा नहीं गया ब्याज एवं अन्य खर्चे	**20.03.2025** अप. 02.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक	₹ 875.00 लाख / ₹ 87.50 लाख / ₹ 0.50 लाख	भौतिक	**17.03.2025** अप. 01.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक

यह सूचना बिक्री के संबंध में 15 दिन का वैधानिक नोटिस है

नीलामी का संचालन नीलामी सेवा प्रदाता – https://baanknet.com के माध्यम से किया जाएगा। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm और https://baanknet.com पर दिया गया लिंक देखें। इसके अतिरिक्त, संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी **श्री शिव राम रतन ठाकुर, मुख्य प्रबंधक, जैडओएसएआरबी, नई दिल्ली मोबाइल नंबर 7568716083** से सम्पर्क कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी का, उसके विवेक के आधार पर, इस नीलामी को वापस लेने/रद्द करने/पुनः आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित है। बोलीदाता को सरफासी ऐक्ट/नियम के प्रावधानों की जानकारी है।

दिनांक : 26.02.2025, स्थान : नई दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड
HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015, ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com
शाखा कार्यालयः कार्यालय सं. 311 और 312, तृतीय तल, आईटीएल नॉर्थेक्स टावर्स-ए9, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

सीएलएम – श्री कशिश भाटिया और श्री सनी मलिक

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारन्टर के नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल सम्पतियों का विवरण
1	आवेदन नं. DL/GRN/SRJP/A000000135 श्री हरेंद्र सिंह और श्री सिखा, दोनोंः मकान नं. 306, वार्ड नंबर 12, दादरी गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 203207	02-05-2024 / 27-02-2025 सांकेतिक	₹ 15,57,630/- दिनांक 01.04.2024 तक प्लस ब्याज इत्यादि	ख. नंबर 1034, ओम वाटिका, दादरी, जी.बी. नगर, यूपी, भारत – 203207

दिनांक : 27-02-2025, स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

VIVEKANAND COTSPIN

Please scan this QR Code to view the DRHP)

VIVEKANAND COTSPIN LIMITED

Our Company was originally formed and registered as a Limited Liability Partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2008 ("LLP Act") in the name and style of "Vivekanand Cotspin LLP" (LLPIN: AAE-4147) and received a certificate of incorporation from the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Havelli on July 21, 2015. Further, "Vivekanand Cotspin LLP" was thereafter converted from a Limited Liability Partnership to a Private Limited Company under part I Chapter XXI of Section 366 of Companies Act, 2013 with the name of Vivekanand Cotspin Private Limited and received a fresh certificate of incorporation from the Registrar of Companies, Central Registration Center on August 5, 2024. The Corporate Identification Number of our Company is U13111GJ2024PTC154066. Later, our Company was converted into Public Limited Company and consequently name of company was changed from "Vivekanand Cotspin Private Limited" to "Vivekanand Cotspin Limited" vide Special resolution passed by the Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting held on December 02, 2024 and a fresh certificate of incorporation dated December 16, 2024 issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre.

Registered Office: S/No 181/1, 182/1, At Rangpurda, Kadi, Mahesana-382715, Gujarat, India
Website: www.vcottonexport.com; Email: cs@vcottonexport.com
Telephone No.: +91 9227825102; **Company Secretary and Compliance Officer:** Ms. Komal Vijaybhai Chauhan
Corporate Identity Number: U13111GJ2024PLC154066

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE MR. NIRAV BHARATBHAI PATEL, MR. JASMIN VISHNUBHAI PATEL, MR. BHARATBHAI PRAHALADBHAI PATEL, MR. VISHNUBHAI PRAHALADDAS PATEL, MR. GAUTAM BHARATKUMAR PATEL, B P PATEL FAMILY TRUST AND V P PATEL FAMILY TRUST

THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS ("DRHP") DATED FEBRUARY 25, 2025 HAS BEEN FILED WITH SME PLATFORM OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE EMERGE).

PUBLIC ISSUE OF UPTO 55,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF VIVEKANAND COTSPIN LIMITED ("VIVEKANAND" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. NET ISSUE OF [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [•] % AND [•] % RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLM AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITION OF [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITION OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, AND GUJARATI, EDITION OF [•], A REGIONAL NEWSPAPER (GUJARATI, BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF GUJARAT, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE NSE LIMITED ("NSE") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR WEBSITE.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid /Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the Book Running Lead Manager and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors ("Non-Institutional Portion") and not less than 35.00% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors ("Retail Portion") in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to participate in the Issue by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see "Issue Procedure" on page 242 of the Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is made in compliance with the press release PR NO. 36/2024 on December 18, 2024 of 208th SEBI Board Meeting on "Review of SME Framework under SEBI (ICDR)Regulations, 2018 and applicability of corporate governance provisions under SEBI (LODR) Regulations, 2015 on SME Companies. The DRHP filed with the SME Platform of NSE Limited ("NSE EMERGE") shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of the NSE at https://www.nseindia.com, and the website of the Company at www.vcottonexport.com, and at the website of BRLM i.e Grow House Wealth Management Private Limited https://growhousewealth.com. Our Company hereby invites the members of the public to give their comments to Stock Exchange, to Company Secretary and Compliance Officer of our Company and /or the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by NSE EMERGE and/or our Company and/or BRLM in relation to the issue on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with NSE EMERGE.

Investments in Equity and Equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on Page No. 25 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring prospectus ("Red Herring Prospectus") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP.

The Equity Shares, when offered, through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the SME Platform of NSE Limited ("NSE EMERGE")."

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 160 of the DRHP. The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them see "Capital Structure" on page 66 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTAR TO THE ISSUE
GROW HOUSE WEALTH MANAGEMENT — GROW HOUSE WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED **SEBI Registration Number:** INM000013262 **Address:** A-606, Privilon, Ambli Bopal Road, B/h. Iscon Temple, S.G. Highway, Ahmedabad-380054, Gujarat, India. **Telephone Number:** +91 9320418005 **Email Id:** ipo@growhousewealth.com **Investors Grievance Id:** investorrelation@growhousewealth.com **Website:** https://growhousewealth.com **Contact Person:** Mr. Hill Shah	MUFG **MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED** (Formerly known as Link Intime India Private Limited) **SEBI Registration No.:** INR000004058 **Address:** C 101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, India **Tel. No.:** +91 810 811 4949 **Email:** vivekanand.smeipo@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Investor Grievance Email:** vivekanand.smeipo@linkintime.co.in **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan **CIN:** U67190MH1999PTC118368

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER	
Ms. Komal Vijaybhai Chauhan **Address:** S/No 181/1, 182/1, At Rangpurda, Kadi, Mahesana-382715, Gujarat, India **Tel. No.:** +91 9227825102 **Email:** cs@vcottonexport.com **Website:** www.vcottonexport.com	Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, Book Running Lead Manager or Registrar to the Issue, in case of any pre issue or post issue related problems, such as non-receipt of letter of allotment, non- credit of allotted Equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For VIVEKANAND COTSPIN LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-

Place: Mahesana, Gujarat — **Nirav Bharatbhai Patel**
Date: February 27, 2025 — **Chairman Cum Managing Director**

VIVEKANAND COTSPIN LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated February 25, 2025 with NSE EMERGE. The DRHP is available on the website of NSE at https://www.nseindia.com and on the website of the BRLM, i.e. Grow House Wealth Management Private Limited at https://growhousewealth.com and the website of our Company at www.vcottonexport.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled *"Risk Factors"* beginning on page 25 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with NSE EMERGE for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the "U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

प्रपत्र ए

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	**अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	30 जून, 1967
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	L45101DL1967PLC004759
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	115 अंसल भवन केजी मार्ग, नई दिल्ली–110001
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	**25 फरवरी 2025**
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	**24 अगस्त 2025**
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**नवनीत कुमार गुप्ता** (दिवालियापन पेशेवर) **पंजी. सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P00001/2016-2017/10009 **एएफए :** 31 दिसंबर, 2025 **तक वैध**
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**नवनीत कुमार गुप्ता** **पंजीकृत पता:** यूनिट 2, ब्लॉक डी1, गोल्फ लिंक, सैक्टर 23बी, द्वारका, नई दिल्ली 110077 **ईमेल :** navneet@minervaresolutions.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	112 अंसल भवन केजी मार्ग, नई दिल्ली–110001 **ईमेल : cirpofapil@minervaresolutions.com**
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**11 मार्च, 2025** दावे इस लिंक (ऑनलाइन मोड) **cirpofapil.rpmitra.com** के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	1. आवंटी / गृह खरीदार 2. जमा धारक
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	**आवंटियों / घर खरीदारों के लिए** 1. प्रिंस सोनी (IBBI/IPA-001/IP-P02608/2021-22/14014) 2. गुलशन गाबा (IBBI/IPA-001/IP-P00548/2017-18/10978) 3. परवीन बंसल (IBBI/IPA-001/IP-P00175/2017-18/10344) **जमा धारकों के लिए** 1. मनिन्द्र कुमार तिवारी (IBBI/IPA-001/IP-P02612/2021-22/14015) 2. मुनीश अग्रवाल (IBBI/IPA-001/IP-P02416/2021-22/13622) 3. वीनू द्राल (IBBI/IPA-001/IP-P02504/2021-22/13816)
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	(क) https://ibbi.gov.in/home/downloads पर उपलब्ध है (ख) एआर की प्रोफाइल, दावे और फॉर्म के लिए **https://www.ansalapi.com/** पर जाएं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने दिनांक **25 फरवरी 2025** को **अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **11 मार्च 2025** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदार अपने दावों को प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे (इस लिंक के माध्यम से: **cirpofapil.rpmitra.com**)। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (इस लिंक के माध्यम से: **cirpofapil.rpmitra.com**) प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्टि संख्या 12 के खिलाफ सूचीबद्ध एक वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदार, प्रविष्टि संख्या 13 में सूचीबद्ध तीन दिवालियापन पेशेवरों में से एक अधिकृत प्रतिनिधि अपनी पसंद का फॉर्म सीए में आवंटित / होमबॉयर्स और जमा धारक को इंगित करेगा, जो लेनदारों के वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
नवनीत कुमार गुप्ता
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00001/2016-2017/10009

दिनांक : 28.02.2025
स्थान : नई दिल्ली

त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

CIN : L15421UP1932PLC022174

पंजी. कार्या.: ए–44 हौजरी कॉम्प्लेक्स, फेज-II एक्सटेंशन, गौतम बुद्ध नगर, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201305
कार्पोरेट कार्या. 8वीं मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेड टावर्स 15.16, सेक्टर–16ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301
ई–मेल: **shares@trivenigroup.com**, वेबसाइट : **www.trivenigroup.com**,
दूरभाष: **91 120 4308000** / फैक्स : **91 120 4311011**

डाक मत पत्र सूचना

कंपनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई हो तो, समय–समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पढ़ें (षनियमष) सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 9 / 2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्र ("एमसीए परिपत्र"), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियमन 44 (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और विनियमों (जिनमें इस समय लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसार, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") ने 4 फरवरी, 2025 की तारीख के पोस्टल बैलट नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने का काम 27 फरवरी, 2025 को पूरा कर लिया है, जिसमें श्री ध्रुव एम. साहनी (डीआईएन :00102999) को 31.3.2025 से पांच साल की अवधि के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित) के रूप में पुनः नियुक्त करने और विशेष प्रस्ताव द्वारा उनके पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उन सदस्यों को भेजा गया है, जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी मालिकों की सूची में शामिल हैं और जिनके ई–मेल पते शुक्रवार, 21 फरवरी, 2025 ("कट–ऑफ तारीख") तक कंपनी आरटीए / डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध हैं।

सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के मतदान अधिकार कट–ऑफ तिथि पर कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होंगे।

कंपनी ने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से और सुरक्षित तरीके से अपना वोट डाल सकें। जिन सदस्यों के नाम कट–ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सूची में दिखाई देंगे, उन्हें ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए पात्र माना जाएगा। कट–ऑफ तिथि के बाद सदस्य बनने वाले व्यक्ति को इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

पोस्टल बैलट नोटिस कंपनी की वेबसाइट **www.trivenigroup.com]** स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.nseindia.com** और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि कंपनी के सदस्यों को नोटिस या पोस्टल बैलट फॉर्म की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी जाएंगी। रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अपनी सहमति (के लिए) असहमति (विरुद्ध) केवल रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से दर्ज करें।

ई–वोटिंग के लिए निर्देश :

रिमोट ई–वोटिंग 28 फरवरी, 2025 को सुबह 9 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी। इस अवधि के दौरान, कट–ऑफ तिथि पर भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके तुरंत बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं, तो वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास इसे पंजीकृत करें और कंपनी के रजिस्ट्रार **KFINTECH** के पास पोस्टल बैलट नोटिस के नोट्स में विस्तृत जानकारी दें।

जिन शेयरधारकों के ई–मेल आईडी डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई–वोटिंग के लिए ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:

1. यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति) को ईमेल द्वारा **shares@trivenigroup.com** पर प्रदान करें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया **DPID+CLID** (16 अंकों की **DPID + CLID** या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें। पैन कार्ड), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति) को **shares@trivenigroup.com** पर भेजें
3. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक / सदस्य ऊपर उल्लिखित दस्तावेज प्रदान करके ई–वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ईमेल पतों को स्थायी रूप से पंजीकृत / अपडेट करने का तरीका इस प्रकार है :

1. भौतिक शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे फॉम **ISR-1** को आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ कंपनी के **RTA** को मेसर्स **KFin Technologies Limited**, यूनिटः त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर ठ, प्लॉट नंबर 31–32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032, ईमेल पताः **einward.ris@kfintech.com** पर जमा करके अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट करें।

2. डीमैटरियलाइज्ड शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट करें, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते हैं। उचित सत्यापन के बाद, **NSDL** (ई–वोटिंग सेवा प्रदाता) उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर अग्रेषित करेगा। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य **einward.ris@kfintech.com** पर लिख सकते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्रक्रिया के संचालन के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, श्रीमती लीना जैन (सीपी सं. 4946, एम. सं. 10296) को स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। पोस्टल बैलट द्वारा आयोजित मतदान के परिणाम और स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट की घोषणा कंपनी के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में कंपनी सचिव द्वारा 30 मार्च, 2025 को या उससे पहले की जाएगी। परिणाम कंपनी की वेबसाइट **www.trivenigroup.com** पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर, और एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

यदि आपके पास रिमोट ई–वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए रिमोट ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देखें, ये दोनों **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं.

यदि आपके पास दूरस्थ ई–वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए दूरस्थ ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देखें, जो दोनों **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं या **www.evoting @nsdl.com** पर वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे से संपर्क करें या 022–48867000 पर कॉल करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे डाक मतपत्र नोटिस में दिए गए सभी नोटों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विशेष रूप से रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

कृते त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता. / –
गीता भल्ला
समूह उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव

तिथि : 27–02–2025
स्थान : नोएडा, यू.पी.

महादेव मुंडे हत्या मामले में सीबीआइ या एसआइटी जांच हो : सुप्रिया सुले

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 फरवरी।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से महादेव मुंडे हत्याकांड की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) या विशेष जांच दल (एसआइटी) से कराने का आग्रह किया है।

सुले ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि बीड जिले के परली निवासी महादेव मुंडे का 19 अक्तूबर 2023 को अपहरण किया गया था और 22 अक्तूबर को उनकी हत्या की पुष्टि हुई थी। उन्होंने लिखा कि एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस अपराध में शामिल मुख्य आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि इस देरी से न केवल मुंडे के परिवार को मानसिक आघात पहुंचा है, बल्कि मामले की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकसभा सदस्य ने वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में निष्पक्ष जांच की भी मांग की। उन्होंने अनुरोध किया कि मामला सीबीआइ या एसआइटी को सौंप दिया जाए। सुले ने कहा कि महादेव मुंडे के परिवार ने कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा न्याय में बाधा डालने और उन्हें धमकियां देने के आरोप लगाए हैं।

उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि 10 जनवरी 2024 को मुंडे के परिवार को अज्ञात व्यक्तियों से धमकी भरे काल आए थे। उन्होंने सरकार से इन धमकियों की जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। सांसद ने कहा कि इस मामले को सुलझाना न केवल लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि यह महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।

कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हुआ ताजा हिमपात

श्रीनगर, 27 फरवरी (भाषा)।

कश्मीर के ऊंचाई वाले अधिकतर इलाकों में गुरुवार को मध्यम से भारी हिमपात हुआ और मैदानी इलाकों में बारिश हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सुबह कई इलाकों में हिमपात जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में ताजा हिमपात हुआ जिससे पर्यटकों में खुशी देखी गई।

बांदीपुरा में राजदान टाप एवं गुरेज, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में साधना टाप, हंदवाड़ा एवं कुपवाड़ा और शोपियां में मुगल रोड पर भी ताजा हिमपात हुआ। इसके अलावा ऊंचाई वाले जिन अन्य इलाकों में हिमपात हुआ, उनमें जोजिला दर्रा, सिंथन टाप और अमरनाथ गुफा शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि बर्फ जमा होने के कारण श्रीनगर–लेह राजमार्ग समेत ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कें बाधित हो गईं लेकिन श्रीनगर–जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुला है। श्रीनगर समेत घाटी के मैदानी इलाकों में रुक–रुक कर बारिश हुई। शुक्रवार दोपहर तक अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या हिमपात हो सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

कुंभ के समापन पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा

विरोधियों ने महाकुंभ के दुष्प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ा

महाकुंभ नगर , 27 फरवरी (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए गुरुवार को कहा कि महाकुंभ जैसा इतना विशाल समागम दुनिया में कहीं नहीं हुआ लेकिन विरोधियों ने इसके दुष्प्रचार का कोई मौका नहीं चूका। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यहां स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु आए, जिसमें अपहरण, लूट, छेड़छाड़ और बलात्कार की कोई घटना नहीं हुई।' उन्होंने कहा, 'कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो विरोधियों को दूरबीन और माइक्रोस्कोप लगाकर भी ढूंढने से मिल सके। विरोधियों ने दुष्प्रचार का कोई मौका चूका नहीं। जिन्हें यह आस्था का महासमागम अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कोई मौका नहीं चूका।'

मुख्यमंत्री ने कहा, 'मौनी अमावस्या पर आठ करोड़ श्रद्धालु यहां पर थे। हमारी प्राथमिकता थी कि इन श्रद्धालुओं को सकुशल स्नान कराके उन्हें उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जाए। लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे और अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे।' उन्होंने कहा, 'कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखाकर प्रयागराज को बदनाम कर रहा था। मौनी अमावस्या पर 28–29 जनवरी की रात को दुखद घटना घटित हुई थी। उन सभी लोगों के परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है।

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR BHUBANESHWAR EXPRESSWAYS PRIVATE LIMITED
HAD BEEN OPERATING AS A SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV) IN CONSTRUCTION SERVICES PRIMARILY AT BHUBANESHWAR, ODISHA
(Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor along with ~~PAN~~ & CIN/~~LLP~~ No.	**Bhubaneshwar Expressways Private Limited** CIN : U45200DL2010PTC205121
2.	Address of the registered office	Registered Office: D-427, 2nd Floor, Ramphal Chowk, Palam Extn., Sector-7, Dwarka, New Delhi- 110075 Former Registered Office: Shop No.-119, First Floor, Sector-7 LSC-III, Vardhman Star Citi Mall, Dwarka, New Delhi – 110077
3.	URL of website	https://www.bexp.in/
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Raigad, Maharashtra
5.	Installed capacity of main products/ services	Not Applicable
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Not Applicable
7.	Number of employees/ workmen	Nil
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	For financials of previous years – https://drive.google.com/drive/folders/1JwrlhXutnKGcRKoMaB8QZrbgUsl3eu5G?usp=drive_link For process related documents – https://www.bexp.in/
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	For process related documents – https://www.bexp.in/ (Document Title: Detailed Invitation for Expression of Interest)
10.	Last date for receipt of expression of interest	15.03.2025, Saturday
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	25.03.2025, Tuesday
12.	Last date for submission of objections to provisional list	30.03.2025, Sunday
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	09.04.2025, Wednesday
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	14.04.2025, Monday
15.	Last date for submission of resolution plans	14.05.2025, Wednesday
16.	Process email id to submit Expression of Interest	bepl.cirp@gmail.com
17.	Details of the corporate debtor's registration status as MSME	Not Registered

Date: 28.02.2025
Place: New Delhi

sd/-
CA Monika Agarwal Resolution Professional
For Bhubaneshwar Expressways Private Limited (under CIRP)
IBBI Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P01137/2018-19/11866
AFA valid upto: 31.12.2025
IBBI Registered Address: 205, Chopra Complex, 8, Preet Vihar, Community Centre, New Delhi
bepl.cirp@gmail.com (process specific)
cacsmonika.agarwal@gmail.com (registered with IBBI)

अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद सख्त

कई मूल्यांकनकर्ताओं को हटाया, 1000 नए समीक्षकों की भर्ती की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 फरवरी।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ने आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करने वाले समीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपने कुल मूल्यांकनकर्ताओं के पांचवें हिस्से को हटा दिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

परिषद ने उस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1,000 से अधिक नए समीक्षकों को भी नियुक्त किया है, जिसमें कई विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल थे। मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने कालेजों का भौतिक निरीक्षण भी रोक दिया है और प्रक्रिया को पूरी तरह से आनलाइन कर दिया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1994 में उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआइ) का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन और मान्यता देने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने कालेजों का भौतिक निरीक्षण भी रोक दिया है और प्रक्रिया को पूरी तरह से आनलाइन कर दिया है।

अधिकारियों के अनुसार, परिषद के पास 7,000 से अधिक मूल्यांकनकर्ता थे जो संस्थानों की ग्रेडिंग के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार थे। परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकनकर्ताओं का अलग-अलग समूह होता था, कभी-कभी उन्हें दूसरे क्षेत्रों में भी जाना पड़ता था।

मूल्यांकनकर्ताओं के काम और आचरण की समीक्षा लंबे समय से प्रक्रिया का हिस्सा रही है, लेकिन कई अनियमितताओं के कारण इस बार कड़ी कार्रवाई की गई। हमने कुल मूल्यांकनकर्ताओं के पांचवें हिस्से को हटा दिया है। समीक्षा के आधार पर कुछ को छह महीने के लिए, कुछ को एक साल के लिए हटाया गया है, तथा कुछ को प्रतिबंधित किया गया है। हमने समानांतर रूप से 1,000 से अधिक नए समीक्षकों की भर्ती भी की है, जिन्हें अब प्रशिक्षित किया जाएगा।

यह कार्रवाई गुंटूर स्थित केएलईएफ द्वारा अपने विश्वविद्यालय को 'ए ' रेटिंग दिलाने के बदले में एनएएसी टीम को कथित तौर पर रिश्वत देने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की जांच के बाद की गई।

कार्बेट बाघ अभयारण्य : वन्यजीवों के लिए बाड़ों की संख्या बढ़ाई जाएगी

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 27 फरवरी।

उत्तराखंड के कार्बेट बाघ अभयारण्य के ढेला रेंज के गुज्जर पड़ाव में वन्य जीवों के इलाज के लिए बने संरक्षण केंद्र का विस्तार कर उसमें बाड़ों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभयारण्य के निदेशक साकेत बडोला ने कहा कि बाड़ों की संख्या बढ़ाने के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर वन विभाग के उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया है।

संरक्षण केंद्र में बाघों और तेंदुओं के लिए 16-16 बाड़ बनाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में वहां दोनों वन्यजीवों के लिए 10-10 बाड़ मौजूद हैं। फिलहाल संरक्षण केंद्र में 11 बाघों और 13 तेंदुओं का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में शुरू हुआ यह संरक्षण केंद्र वृद्ध एवं घायल वन्यजीवों के लिए जीवनरेखा साबित हुआ है। इसमें अभी तक 11 बाघों का इलाज किया जा चुका है, जिनमें से आठ को उनके स्वस्थ हो जाने के बाद जंगल में उसी जगह पर वापस छोड़ा गया, जहां से उन्हें घायल अवस्था में लाया गया था। वहीं, जिन बाघों को किन्हीं कारणों से वापस जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता था, उन्हें देहरादून प्राणी उद्यान भेज दिया गया।

बडोला के मुताबिक, संरक्षण केंद्र में इलाज के दौरान एक तेंदुए की मौत हो गई, जबकि दो अन्य तेंदुओं को इलाज के बाद वापस जंगल में छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि संरक्षण केंद्र में अभयारण्य की दो पालतू हथनियों की भी चिकित्सकीय देखभाल कर उन्हें स्वस्थ किया गया और अब ये दोनों हथनियां कोर क्षेत्र के जंगल में घूम रही हैं।

नौसेना के परीक्षण में खरी उतरी पोत विनाशक मिसाइल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 फरवरी।

डीआरडीओ की पोत विनाशक मिसाइल (एनएएसएम-एसआर) भारतीय नौसेना के उड़ान परीक्षण में सफल साबित हुई है। इसका परीक्षण मंगलवार को ओड़ीशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया।

यह अपनी तरह की पहली मिसाइल है जिसे नौसेना के सीकिंग हेलिकाप्टर से लांच करके एक छोटे समुद्री जहाज को निशाना बनाया गया। परीक्षणों ने न सिर्फ मिसाइल की मैन-इन-लूप विशेषता को साबित किया है। बल्कि इसकी अधिकतम सीमा पर सी-स्किमिंग मोड में लक्ष्य पर सीधा प्रहार करने की क्षमता का भी सफल प्रदर्शन हुआ है। इस मिसाइल में टर्मिनल गाइडेंस के लिए स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रा-रेड सीकर का इस्तेमाल किया गया है।

कोविड टीकाकरण के कारण हुई मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया सवाल

आश्रितों को मुआवजे की क्या नीति है

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से इस बारे में निर्देश मांगे हैं कि क्या केंद्र सरकार कोविड-19 टीकाकरण के कारण मरने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई नीति बनाना चाहती है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ केरल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे। मामले की सुनवाई 18 मार्च को होगी।

सुश्री सईद ने यह रिट याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कथित कोविड-19 टीकाकरण (एईएफआइ) के बाद अपने पति की मृत्यु के बाद अनुग्रह राशि मुआवजे की मांग की थी। हाईकोर्ट ने परमादेश के माध्यम से एक अंतरिम आदेश पारित किया। जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ तीन महीने के भीतर एईएफआइ के कारण मरने वाले लोगों को मुआवजा देने के लिए एक नीति या दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया।

केंद्र ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि टीकाकरण एक स्वतंत्र और स्वैच्छिक कार्य है। केंद्र का तर्क है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2(डी) के साथ धारा 12(डी) (राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देश) के तहत एईएफआई आपदा नहीं है। जिससे मृतक को वैधानिक

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा

'राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वायु सेना व नौसेना की शक्ति का एकीकरण जरूरी'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 फरवरी।

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध शक्ति बढ़ाने पर आयोजित सेमिनार में वायु एवं नौसेना संचालन में तालमेल व एकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर सीडीएस के साथ वायु सेना उप प्रमुख एअर मार्शल एसपी धारकर भी मौजूद रहे।

सीडीएस ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भौगोलिक स्थिति समुद्री क्षेत्र को रणनीतिक हित का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है।

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की अनूठी भौगोलिक स्थिति समुद्री क्षेत्र को रणनीतिक हित का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। इसलिए राष्ट्रीय हितों की रक्षा और क्षेत्र में प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिए वायु एवं नौसेना शक्ति का एकीकरण आवश्यक है। उन्होंने आगे बताया कि कैसे तकनीकी उन्नति, रणनीतिक साझेदारी और संयुक्त परिचालन अभ्यास भारत की रक्षा स्थिति को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

एअर चीफ मार्शल एसपी धारकर ने क्षेत्र में उभरते खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के बीच वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करने और निर्बाध समन्वय के महत्व पर प्रकाश डाला।

सेमिनार का आयोजन दक्षिणी वायु कमान मुख्यालय ने सेंटर फार एअर पावर स्टडीज के सहयोग से किया गया, जिसका विषय 'वायु एवं नौसेना बलों में तालमेल : हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध शक्ति बढ़ाना' था। इस अवसर पर आधुनिक हवाई-समुद्री युद्ध रणनीतियों, समुद्री सुरक्षा में मानव रहित प्रणालियों की भूमिका और रक्षा तैयारियों पर विकसित भू-राजनीतिक गतिशीलता के प्रभाव पर भी चर्चा की गई।

जेएमएस बिल्डवेल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड
कॉर्पोरेट ऑफिस : 7वां तल, नार्थ टॉवर, M3M टीईई प्वाइंट, सेक्टर-65, गुरुग्राम-122018, हरियाणा
रजि. ऑफिस : प्लॉट नं. 2380-एसपी सेक्टर-46, गुरुग्राम-122002 हरियाणा, ई-मेल : crm@jmsgroup.co.in टेलीफोन : +91-124-4215130
सीआईएन : U45309HR2020PTC084773

सार्वजनिक सूचना

जबकि, हम मेसर्स जेएमएस बिल्डवेल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड, श्री धरम सिंह और अन्य के सहयोग से एक अफोर्डेबल प्लॉटेड कॉलोनी की स्थापना के लिए महानिदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा दिए गए लाइसेंस संख्या 44/2020 दिनांक 29.12.2020 के अनुसार गांव वजीरपुर, सेक्टर-95ए, जिला गुरुग्राम में 10.60 एकड़ क्षेत्र में एक अफोर्डेबल प्लॉटेड कॉलोनी के विकास की प्रक्रिया में हैं।

और जबकि, पिछला लेआउट प्लान ड्राइंग संख्या डीटीसीपी-8968 दिनांक 02.02.2023, जो लाइसेंस संख्या 44/2020 दिनांक 29.12.2020 के साथ प्राप्त हुआ था, को संशोधित किया जाना आवश्यक था, जिसके लिए मेसर्स जेएमएस बिल्डवेल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड ने संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना के लिए आवेदन किया था और इसके लिए प्रोविजनल अनुमोदन मेमो संख्या LC-4221/JD(RA)/2025/6718 दिनांक 21.02.2025 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसका ड्राइंग नंबर DTCP-10880 दिनांक 20.02.2025 है।

और जबकि, जिला नगर योजनाकार के कार्यालय, महानिदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय ने संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना के अंतिम अनुमोदन की अनुमति देने के लिए पूर्व शर्त के रूप में मौजूदा आवंटियों से लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना के संशोधन के खिलाफ आपत्तियां मांगना आवश्यक माना है।

तदनुसार, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उक्त अफोर्डेबल प्लॉटेड कॉलोनी के संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना प्राप्त होने पर उक्त अफोर्डेबल प्लॉटेड कॉलोनी में किसी भी मौजूदा आवंटी से आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। पूर्व में स्वीकृत लेआउट योजना और संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना की एक प्रति हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय और हमारी वेबसाइट https://primeland.jmsgroup.co.in/ पर अवलोकन के लिए उपलब्ध है। उक्त संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना का अवलोकन वरिष्ठ नगर नियोजक के कार्यालय, हुडा कार्यालय परिसर, सेक्टर 14, गुरुग्राम में भी किया जा सकता है।

मौजूदा आवंटियों में से किसी को भी संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना पर कोई आपत्ति है तो वह इस सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर वरिष्ठ नगर नियोजक के कार्यालय, हुडा कार्यालय परिसर, सेक्टर 14, गुरुग्राम में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि प्रस्तावित संशोधित लेआउट-कम-डिमार्केशन योजना पर कोई आपत्ति नहीं है।

स्थान : गुरुग्राम — मेसर्स जेएमएस बिल्डवेल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड
दिनांक : 28-02-2025

प्रपत्र ए

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	30 जून, 1967
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	L45101DL1967PLC004759
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	115 अंसल भवन केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	25 फरवरी 2025
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	24 अगस्त 2025
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नवनीत कुमार गुप्ता (दिवालियापन पेशेवर) पंजी. सं.:IBBI/IPA-001/IP-P00001/2016-2017/10009 एएफए : 31 दिसंबर, 2025 तक वैध
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	नवनीत कुमार गुप्ता पंजीकृत पता: यूनिट 2, ब्लॉक डी1, गोल्फ लिंक, सेक्टर 23बी, द्वारका, नई दिल्ली 110077 ईमेल : navneet@minervaresolutions.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	112 अंसल भवन केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001 ईमेल : cirpofapil@minervaresolutions.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	11 मार्च, 2025 दावे इस लिंक (ऑनलाइन मोड) cirpofapil.rpmitra.com के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	1. आवंटी/गृह खरीदार 2. जमा धारक
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	आवंटियों/घर खरीदारों के लिए 1. प्रिंस सोनी (IBBI/IPA-001/IP-P02608/2021-22/14014) 2. गुलशन गाबा (IBBI/IPA-001/IP-P00548/2017-18/10978) 3. परवीन बंसल (IBBI/IPA-001/IP-P00175/2017-18/10344) जमा धारकों के लिए 1. मनिन्द्र कुमार तिवारी (IBBI/IPA-001/IP-P02612/2021-22/14015) 2. मुनीश अग्रवाल (IBBI/IPA-001/IP-P02416/2021-22/13622) 3. वीनू द्राल (IBBI/IPA-001/IP-P02504/2021-22/13816)
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	(क) https://ibbi.gov.in/home/downloads पर उपलब्ध है (ख) एआर की प्रोफाइल, दावे और फॉर्म के लिए https://www.ansalapi.com/ पर जाएं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने दिनांक 25 फरवरी 2025 को अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 11 मार्च 2025 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के सम्मुख वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदार अपने दावों को प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे (इस लिंक के माध्यम से: cirpofapil.rpmitra.com)। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (इस लिंक के माध्यम से: cirpofapil.rpmitra.com) प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्टि संख्या 12 के खिलाफ सूचीबद्ध एक वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदार, प्रविष्टि संख्या 13 में सूचीबद्ध तीन दिवालियापन पेशेवरों में से एक अधिकृत प्रतिनिधि अपनी पसंद का फॉर्म सीए में आवंटित/होमबॉयर्स और जमा धारक को इंगित करेगा, जो लेनदारों के वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
नवनीत कुमार गुप्ता
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-001/IP-P00001/2016-2017/10009

दिनांक : 28.02.2025
स्थान : नई दिल्ली

Piccadily Agro Industries Limited
CIN: L01115HR1994PLC032244
REGD. Office: - Village Bhadson, Umri Indri Road, Tehsil Indri, Karnal Dist. Haryana 132117; Email ID:- piccadilygroup34@rediffmail.com

Notice is hereby given that the following share certificate (s) issued by the company are stated to be lost/misplaced and he registered holders thereof have applied to the company for the issue of duplicate share Certificate.

SHARES ALLOT NAME	FOLIO NO.(S)	CERTIFICATE NO.(S)	DISTINCTIVE NO.(S)	No. of SHARES
URMILA GUPTA	1519	059664 - 059674	015859621 - 015860720	1100
		156829	048316041 - 048318240	2200
HARISH KUMAR	2939	067660 - 067664	016659221 - 016659720	500
		150602	024663521 - 024664020	500
		157316	048644441 - 048645440	1000
ANIL GUPTA	9035	106766 - 106769	20569821 - 20570220	400
		106773 - 106774	20570521 - 20570720	200
		153156	25592071 - 25592670	600
RITA GUPTA	4219	76547 - 76548	17547921 - 17548120	200
		76551 - 76553	17548321 - 17548620	300
		151100	24873371 - 24873870	500
		157808	49036341 - 49037340	1000
HARBANS KAUR ANAND	4265	77251 - 77254	17618321 - 17618720	400
		151110	24875971 - 24876370	400
		157818	49041541 - 49042340	800
SAPNA BAGARIA	3759	157620	48876441 - 48877640	1200
		150908	24781321 - 24781920	600
		73536 - 73537	17246821 - 17247020	200
SHOBHA GUPTA	14589	162037	051884241 - 051884740	500
		155367	026347371 - 026347670	300
		141827 - 141828	024075921 - 024076120	200
DHANANDER RAWAT	9316	107971 - 107976	20690321 - 20690920	600
		153296	25633971 - 25634570	600
		159983	50511441 - 50512640	1200
SULABH MALPANI	7385	159163	049999341 - 049999940	600
		152465	025368671 - 025368970	300
		97582 - 97584	019651421 - 019651720	300
SUNIL KUMAR AGARWAL	4119	75432 - 75433	17436421 - 17436620	200
		151072	24842371 - 24842970	600

The public is hereby warned against purchasing of dealing in any way with the above share certificate. Any person (s) who has/have any claim(s) with the company in respect of the said share certificates should lodge such claims at its registered office at the address given above within 15 days of the publication of this notice after which no claim will be entertained and the company will be proceed With issuance of duplicate share certificates.

Piccadily Agro Industries Limited
Date : 28/02/2025 — Sd/-
Place : Chandigarh — Company Secretary

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR BHUBANESHWAR EXPRESSWAYS PRIVATE LIMITED
HAD BEEN OPERATING AS A SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV) IN CONSTRUCTION SERVICES PRIMARILY AT BHUBANESHWAR, ODISHA
(Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor along with ~~PAN~~ & CIN/~~LLP~~ No.	Bhubaneshwar Expressways Private Limited CIN : U45200DL2010PTC205121
2.	Address of the registered office	Registered Office: D-427, 2nd Floor, Ramphal Chowk, Palam Extn., Sector-7, Dwarka, New Delhi- 110075 Former Registered Office: Shop No.-119, First Floor, Sector-7 LSC-III, Vardhman Star Citi Mall, Dwarka, New Delhi – 110077
3.	URL of website	https://www.bexp.in/
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Raigad, Maharashtra
5.	Installed capacity of main products/ services	Not Applicable
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Not Applicable
7.	Number of employees/ workmen	Nil
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	For financials of previous years – https://drive.google.com/drive/folders/1JwrthXutnKGcRKoMaB8QZrbgUsI3eu5G?usp=drive_link For process related documents – https://www.bexp.in/
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	For process related documents – https://www.bexp.in/ (Document Title: Detailed Invitation for Expression of Interest)
10.	Last date for receipt of expression of interest	15.03.2025, Saturday
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	25.03.2025, Tuesday
12.	Last date for submission of objections to provisional list	30.03.2025, Sunday
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	09.04.2025, Wednesday
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	14.04.2025, Monday
15.	Last date for submission of resolution plans	14.05.2025, Wednesday
16.	Process email id to submit Expression of Interest	bepl.cirp@gmail.com
17.	Details of the corporate debtor's registration status as MSME	Not Registered

Date: 28.02.2025
Place: New Delhi

sd/-
CA Monika Agarwal Resolution Professional
For Bhubaneshwar Expressways Private Limited (under CIRP)
IBBI Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P01137/2018-19/11866
AFA valid upto: 31.12.2025
IBBI Registered Address: 205, Chopra Complex, 8, Preet Vihar, Community Centre, New Delhi
bepl.cirp@gmail.com (process specific)
cacsmonika.agarwal@gmail.com (registered with IBBI)

SBI भारतीय स्टेट बैंक
होम लोन सेंटर, 105, न्यू आर्य नगर, गाजियाबाद – 201003 (उत्तर प्रदेश)
फोन : 0120-4168175 ई-मेल : sbi.10049@sbi.co.in

चूककर्ता कर्जदार के जब्त किए गए वाहन के निपटान हेतु ऑनलाइन ई-नीलामी का आयोजन

ई-नीलामी

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को विशेष रूप से कर्जदार(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल सम्पत्ति (कार) जिसका कब्जा भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, संबंधित पार्टी की तरफ बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए 18-03-2025 को अप. 12.30 बजे से अप. 01.30 बजे के बीच (बिक्री के समापन तक प्रत्येक अंतिम 10 मिनट की अवधि में बोली के मामले में स्वतः विस्तार क्लॉज के साथ) "जैसी है जहां है" और "जैसी है जो है" आधार पर बेची जाएगी। इच्छुक खरीदार ई-नीलामी के दिन प्रत्याभूत ऋणदाता के दिए गए लिंक : https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर जाकर बोली में भाग ले सकते हैं (ई-नीलामी से संबंधित सभी नियम और शर्तें वहां उपलब्ध हैं)।

शाखा का नाम	कर्जदार का नाम और पता	चल संपत्ति का विवरण (कार)	कब्जे की स्थिति	कुल बकाया राशि	ए. सुरक्षित मूल्य (रु.) बी. ईएमडी (रु.) सी. बोली वृद्धि राशि (रु.) डी. बिक्री सूचना की तिथि	खाता संख्या और आईएफएससी कोड	ई-नीलामी की तिथि और ईएमडी की अंतिम तिथि
एचएलसी, गाजियाबाद 201003	प्रमोद सिंह पुत्र कुंवर सिंह पता: एच नं. 51, गली नं. 9, सबोली गांव, पुराने शिव मंदिर सबोली के पास उत्तर पूर्वी दिल्ली	ईकोस्पोर्ट.5(डी)टाइटेनियम एमटी पंजीकरण संख्या: DL5CR2344 इंजन संख्या: KT16193 चेसिस नं.: MAJAXXMRKAKT16193	भौतिक	रु. 8,33,521/- (ब्याज सहित) 21-02-2025 तक	ए. 4,80,000/- + लागू जीएसटी बी. 48000/- सी. रु. 5000/- डी. 17-02-2025	खाता संख्या : 37608166985 आईएफएससी कोड : SBIN0010049	वाहन की ई-नीलामी : 18-03-2025 एवं ईएमडी की अंतिम तिथि : 17-03-2025

नोट : सफल बोलीदाता को उद्धृत मूल्य की पूरी राशि ई-नीलामी की तिथि से सात (7) कार्य दिवसों के भीतर जमा करनी होगी, अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और वाहन तत्काल बेच दिया जाएगा।

ईएमडी 17-03-2025 को अथवा पूर्व अप. 4 बजे तक जमा की जानी चाहिए। सम्पत्ति (कार) का निरीक्षण 16-03-2025 को एफ 21-22 प्रथम तल, मेरठ कॉलेज, कचहरी पुल के पास नया परिसर, मेरठ, उत्तर प्रदेश के पते पर समाधान एजेंसी (मैसर्स एसके एसोसिएट्स पार्किंग मैनेजर का संपर्क नंबर 9258929462 है) के माध्यम से किया जा सकता है।

तिथि : 21-02-2025, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी (एचएलसी गाजियाबाद)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
जोनल स्ट्रेस्ड असेट्स रिकवरी ब्रान्च, चतुर्थ तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 – भारत, फोन : +91 11 42268509, 42268003
ईमेल- armdel@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

"परिशिष्ट- IV-A [(नियम 8(6) एवं 9(1) का परंतुक देखें]

"वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6), 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां, जो प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका भौतिक कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित खाते/खातों की वसूली के लिए "जहाँ है जैसा है, जो कुछ भी है और बिना किसी दायित्व रहित" के आधार पर बेची जाएंगी। कर्जदार/रों/गारंटर/रों/प्रतिभूत आस्ति/बकाया राशि /सुरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

क्रं. सं.	कर्जदार/रों/गारंटर/रों का नाम और पता	अचल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण, ज्ञात ऋणभार, यदि कोई, सहित	कुल बकाया राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	कब्जा की स्थिति (प्रलक्षित/भौतिक)	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	मैसर्स प्रगति पेट्रो प्रोजेक्ट्स एलएलपी, पार्टनर – 1. श्री राव नरेंद्र सिंह और 2. श्रीमती अलका यादव, निवासी मकान नंबर सी-6, साउथ सिटी-।।, गुरूग्राम-122018 हरियाणा गारंटर :- 1. श्री राव नरेन्द्र सिंह 2. श्रीमती अलका यादव पत्नी श्री राव नरेन्द्र सिंह, दोनों निवासी, मकान नंबर सी-6, साउथ सिटी – ।।, गुरूग्राम -122018 हरियाणा 3. श्रीमती रेखा यादव पत्नी सत्येन्द्र यादव निवासी पाल्हावास (236) पाल्हावास रेवाडी हरियाणा – 123035	सम्पत्ति के वह सभी अंश एवं खंड जो वाणिज्यिक सह आवासीय भूखंड (भूमि एवं भवन) एमसीडी नंबर डब्ल्यूजैड 254, खसरा संख्या 84 (3-9) की अंश रूप 707 वर्ग गज भूमि अर्थात 03 बीघा 09 बिस्वा भूमि का 1/6 हिस्सा, जो लाल डोरा (1908-09) आबादी ग्राम शकूरपुर दिल्ली 110034 में स्थित है तथा श्रीमती रेखा यादव पत्नी श्री सत्येंद्र यादव के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर : मकान नंबर डब्ल्यूजैड 254 बी, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति, पूरब : सड़क, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति बैंक को ज्ञात ऋणभार : शून्य	रु. 16,36,30,940/- (रुपये सोलह करोड़ छत्तीस लाख तीस हजार नौ सौ चालीस मात्र) दिनांक 22-02-2025 तक तथा 23-02-2025 से जोड़ा नहीं गया ब्याज एवं अन्य खर्चे	20.03.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 06.00 बजे तक	₹ 875.00 लाख / ₹ 87.50 लाख / ₹ 0.50 लाख	भौतिक	17.03.2025 अप. 01.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक

यह सूचना बिक्री के संबंध में 15 दिन का वैधानिक नोटिस है

नीलामी का संचालन नीलामी सेवा प्रदाता – https://baanknet.com के माध्यम से किया जाएगा। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm और https://baanknet.com पर दिया गया लिंक देखें। इसके अतिरिक्त, संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी **श्री शिव राम रतन ठाकुर, मुख्य प्रबंधक, जैडओएसएआरबी, नई दिल्ली मोबाइल नंबर 7568716083** से सम्पर्क कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी का, उसके विवेक के आधार पर, इस नीलामी को वापस लेने/रद्द करने/पुनः आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित है। बोलीदाता को सरफासी ऐक्ट/नियम के प्रावधानों की जानकारी है।

दिनांक : 26.02.2025, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड
HINDUJA HOUSING FINANCE
कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015, ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com
शाखा कार्यालय: कार्यालय सं. 311 और 312, तृतीय तल, आईटीएल नॉर्थेक्स टावर्स-ए9, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

सीएलएम – श्री कशिश भाटिया और श्री सनी मलिक

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारन्टर के नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण
1	आवेदन नं. DL/GRN/SRJP/A000000135 श्री हरेंद्र सिंह और श्री सिखा, दोनों: मकान नं. 306, वार्ड नंबर 12, दादरी गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 203207	02-05-2024 / 27-02-2025 सांकेतिक	₹ 15,57,630/- दिनांक 01.04.2024 तक प्लस ब्याज इत्यादि	ख. नंबर 1034, ओम वाटिका, दादरी, जी.बी. नगर, यूपी, भारत – 203207

दिनांक : 27-02-2025, स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड